न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 2/2026 (अपील)
जी.सी.एम.एस.नं. – 2026/59

उनवान

1. भैरूलाल आत्मज छोगा लाल जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रणमल तहसील दीगोद,जिला कोटा।
2. छोटूलाल आत्मज छोगा लाल जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रणमल तहसील दीगोद,जिला कोटा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

रामेश्वर आत्मज किशनलाल जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रणमल तहसील दीगोद,जिला कोटा ।

(अप्रार्थी)

उपस्थित अभिभाषक :– श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना,(प्रार्थीगण)
श्री धनश्याम नागर (अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश
(अपील तहसीलदार दीगोद निर्णय दिनांक 24.11.2025)

निर्णय दिनांकः– 26/5/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र धारा 183 बी आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर प्रतिपक्षीगण को बेदखली का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नही दिया कि उपरोक्त खसरा नम्बर 320/35 की 0.80 है0 भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है इस कारण उक्त भूमि की खातेदारी धोषणा का वाद अपीलान्ट ने न्यायालय ए.सी.एम.दीगोद में प्रस्तुत कर रखा है इस बात की जानकारी होते हुए भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को उक्त भूमि सें बेदखल करने का निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है।

उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त काफी लम्बे समय वर्ष 1975 से भी अधिक समय से चला आ रहा है इस कारण बैदखली की मियाद निंकल जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र पेश किया जो मियाद बाहर है जिसे खारिज न कर स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में दिनांक 16.03.2026 को अपीलान्ट को बेदखल किये जाने हेतु पटवारी हल्का व थानाधिकारी बूढादीत को लिखा गया है यदि अपीलान्ट को भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलान्ट को अपरिमित

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी व अपील करना ही बेकार हो जावेगा तथा हमेशा के लिए अपीलान्ट के वंचित होना पडेगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.11.2025 की पालना व कियान्विती को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे तथा प्रार्थीगण अपीलान्ट को उक्त ग्राम बम्बूलिया रणमल तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 320/35 की 0.80 है. भूमि से बेदखल नही किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी की तबली की गई । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री धनश्याम नागर की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति है जिनके द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी के संबध में न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद में वाद प्रस्तुत किया उक्त वाद के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 12/25 दिनांक 17.2.2025 प्रस्तुत किया जो दिनांक 14.11.2025 को खारिज फरमा दिया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद के आदेश की अप्रसन्नता से प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा में अपील संख्या 468/2025 छोटूलाल बनाम रामेश्वर के उनवान से अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील दिनांक 10.12.2025 को स्थगन आदेश पर सुनवाई कर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 10.12.2025 को खारिज कर दी गई। और बाद में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा खारिज फरमा दिया गया।

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के आंवटन के संबध में न्यायालय जिला कलेक्टर के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उक्त प्रार्थना पत्र के साथ ही स्थगन का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और उक्त प्रार्थना पत्र के साथ भी स्थगन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा भी प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलेक्टर दीगोद में प्रस्तुत वाद को भी न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद द्वारा खारिज किया जा चुका है इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जो भी कार्यवाहीयां अप्रार्थी के विरूद्व की है उन सभी कार्यवाहीयों में प्रार्थीगण को सफलता प्राप्त नही हुई है ओर अन्त में सभी कार्यवाहीया खारिज कर दी गई।

प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार दीगोद के आदेश दिनांक 24.11.2025 की अप्रसन्नता से अपील प्रस्तुत की है उक्त आदेश के विरूद्व अप्रार्थी द्वारा केवियट प्रस्तुत की गई। केवियट की जानकारी प्रार्थीगण को प्राप्त हो गई ओर सूचना प्राप्त होने के बाद भी दिनांक 24.11.2025 की प्राथीगण द्वारा उक्त समय कोई अपील पेश नही की गई इस कारण प्रार्थीगण की अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के संबध में दिनांक 16.12.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया,जिसकी प्रार्थीगण द्वारा कोई अपील आद्वि किसी संक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नही की है। इस प्रकार दिनांक 9.3.2026 का आदेश अन्तिमता प्राप्त हो गया है जिसके विरूद्व प्रार्थीगण को आपत्ति करने का अधिकार नही है।

प्राथीगण अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थी न्यायालय के आदेश की पालना में मौके पर काबिज काश्त है तथा दिनांक 27.11.2025 से अप्रार्थी को कब्जा प्रदान कर दिया है तथा आज भी अप्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को परेशान करने के ध्येय से असत्य तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज फरमाया जावें।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र धारा 183 बी आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर प्रतिपक्षीगण को बेदखली का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नही दिया कि उपरोक्त खसरा नम्बर 320/35 की 0.80 है0 भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है इस कारण उक्त भूमि की खातेदारी धोषणा का वाद अपीलान्ट ने न्यायालय ए.सी.एम.दीगोद में प्रस्तुत कर रखा है। उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त काफी लम्बे समय वर्ष 1975 से भी अधिक समय से चला आ रहा है इस कारण बैदखली की मियाद निकल जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र पेश किया जो मियाद बाहर है।

अतः निवेदन है कि ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.11.2025 की पालना व क्रियान्विती को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे तथा प्रार्थीगण अपीलान्ट को उक्त ग्राम बम्बूलिया रणमल तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 320/35 की 0.80 है. भूमि से बेदखल नही किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा दोराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जो भी कार्यवाहीयां अप्रार्थी के विरूद्व की है उन सभी कार्यवाहीयों में प्रार्थीगण को सफलता प्राप्त नही हुई है ओर अन्त में सभी कार्यवाहीया खारिज कर दी गई। प्राथीगण अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थी न्यायालय के आदेश की पालना में मौके पर काबिज काश्त है तथा दिनांक 27.11.2025 से अप्रार्थी को कब्जा प्रदान कर दिया है तथा आज भी अप्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को परेशान करने के ध्येय से असत्य तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थी कि बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दीगोद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.11.2025 में पटवारी हलका मदनपुरा की रिपोर्ट दिनांक 14.11.2025 व अप्रार्थी के जवाब इत्यादि के आधार पर प्रार्थीगण को अप्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए धारा 183 बी के तहत प्रकरण में निर्णय पारित कर प्राथीगण को बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। विवादित आराजी अप्रार्थी की आंवटन शुद्वा भूमि होने व तहसीलदार दीगोद द्वारा उक्त भूमि पर दखल देने संबधी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के संबध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुके है।

अतः आवंटन शुद्वा भूमि पर स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26/5/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(दीपेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा